

कलकत्ता ०२/०५/१४
कलकत्ता ०२/०५/१४
पत्र सं०-आडिट/पैडी हस्क/ परिपत्र (2014-15)//

२२९

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,
(आडिट अनुभाग)
उत्तर प्रदेश।
लखनऊ: दिनांक: मई ०९, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तरप्रदेश।

कतिपय कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पैडी हस्क (Outer covering of Paddy) पर करदेयता के सम्बंध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के फलस्वरूप स्थिति स्पष्ट करने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था।

शासन के पत्र संख्या -148/11-2-2014-9(11)/14 दिनांक 31.03.2014 द्वारा इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।

तदनुसार अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों / कर निर्धारण अधिकारियों को उपरोक्त से अवगत करा दें तथा तदनुसार कार्यवाही करना / कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक :: उपरोक्तानुसार

मृ
8.5.14
(मृत्युन्जय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

वाणिज्य कर मुख्यालय,
लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु0-2

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2014

विषय:- पैडी हस्क (outer covering of paddy) पर करमुक्ति के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-ज्वा0कमि0(आडिट)/पैडी हस्क प्रस्ताव (2012-13)/78/वाणिज्य कर, दिनांक 31-01-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पैडी हस्क (outer covering of paddy) की करदेयता के बिन्दु पर विधिक स्थिति स्पष्ट करने हेतु न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त करने की अपेक्षा की गई थी।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि न्याय विभाग द्वारा पैडी हस्क (outer covering of paddy) अनुसूची-एक के क्रमांक-4 की प्रविष्टि में अंकित De-oiled paddy husk or outer covering of paddy के अंतर्गत करमुक्त है अथवा नहीं, के संबंध में दिये गये परामर्श में यह उल्लेख किया गया है कि "यह बिन्दु तथ्यात्मक है कि प्रश्नगत वस्तु में तेल होता है या नहीं, जिस पर प्रशासकीय विभाग को निर्णय लेना होगा। यदि प्रश्नगत वस्तु धान का बाहरी छिलका (outer covering of paddy) की श्रेणी में आती है एवं उसमें तेल नहीं होता है तो अनुसूची-एक के क्रमांक-4 की प्रविष्टि के आधार पर करमुक्त वस्तु की श्रेणी में आयेगी।"

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया न्याय विभाग के उक्त परामर्श के दृष्टिगत अगतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।